सं. निदे.(एफ एंड वीपी)/43/सीएसी/एफएसएसएआई/09-Vol.- II

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

तृतीय एवं चतुर्थ तल, एफडीए भवन, कोटला रोड़,

नई दिल्ली–110002

दिनांकः 09.05.2012

विषयः दिनांक 27 अप्रैल, 2012 (शुक्रवार) को 11 बजे अशोक होटल, डिप्लोमेटिक एन्क्लेव, 50–बी, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में आयोजित एफएसएसएआई की केंद्रीय सलाहकार समिति की सातवीं बैठक का कार्यवृत्त

अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 27 अप्रैल, 2012 (शुक्रवार) को 11 बजे अशोक होटल, डिप्लोमेटिक एन्क्लेव, 50–बी, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में एफएसएसएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री के. चंद्रमौली, की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय सलाहकार समिति (सीएसी) की सातवीं बैठक का कार्यवृत अवलोकन और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करने का निर्देश हुआ है।

अतः, अनुरोध है कि आप इस पत्र के जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां अधोहस्ताक्षरी को भेज दें, अन्यथा इस कार्यवृत्त को अंतिम माना जाएगा।

(डा. डी.एस. यादव)

उपनिदेशक (प्रव.–II)

फोन नं.: 011–23231681

ईमेलः dsyadav@fssai.gov.in

सेवा में: संलग्न सूची के अनुसार

सूची

1. सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली। फैक्सः 23386004 ई–मेलः secy-agri@nic.in
2. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली। फैक्सः 23061252 ई–मेलः secyhfw@nic.in
3. सचिव, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली। फैक्सः 23388006 ई–मेलः secyahd@nic.in
4. सचिव (एफएंडपीडी), खाद्य एव सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, कृषि भवन, नई दिल्ली। फैक्सः 23386052 ई–मेलः secy-food@nic.in
5. सचिव (सीए), उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, कृषि भवन, नई दिल्ली। फैक्सः 23384716, ईमेलः secyca@fca.delhi.nic.in
6. सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली–110049, फैक्सः 26493012, ईमेलः secy.hub@nic.in
7. वाणिज्य सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली। फैक्सः 23061796 ईमेलः csoffice@nic.in
8. सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली। फैक्सः 23063045, ई–मेलः secretary-msme@nic.in
9. सचिव (पीआर), पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली। फैक्सः 23389028, ई–मेलः secy-mopr@nic.in
10. सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण भवन सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली। फैक्सः 24361896, ई–मेलः envisect@nic.in
11. सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। फैक्सः 23381495, ई–मेलः secy.wcd@nic.in
12. सचिव, जैव–प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली। फैक्सः 24362884 ई–मेलः mkbhan@dbt.nic.in
13. श्री सतीश गुप्ता, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, जम्मू एवं कश्मीर तथा नियंत्रक, औषधि एवं खाद्य नियंत्रण संगठन, राज्य खाद्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, पटौली–मंगोट्रीयन, जम्मू–180007, जम्मू एवं कश्मीर। टेलीफैक्सः 0191– 2538527, 2538626, ई–मेलः controllerdrugsfood@yahoo.in
14. श्री अश्वनी कुमार राय (आईएएस), खाद्य सुरक्षा आयुक्त मध्य प्रदेश और नियंत्रक औषधि (खाद्य एवं औषधि प्रशासन), मध्य प्रदेश सरकार, ईदगाह हिल्स, भोपाल–462001, टेलीफैक्सः 0755–2665385, 2660690, ई–मेलः fda_mp@hotmail.com, ashwini.rai@gmail.com

15. डा. बी.आर. मीना, खाद्य सुरक्षा आयुक्त राजस्थान और निदेशक (सार्वजनिक स्वास्थ्य), निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान सरकार, स्वास्थ्य भवन तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005, टेली–फैक्सः 0141–2229858, ई–मेलः directorph-rj@nic.in
16. डा. (श्रीमती) पी. सुचरित्रा मूर्ति, खाद्य सुरक्षा आयुक्त आंध्र प्रदेश और निदेशक, निवारक चिकित्सा संस्थान, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला और खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरण, नरयाणागुडा, हैदराबाद–500029, टेलीः 040–27560191/27552203 फैक्सः 040–27567894, ई–मेलः diripm@yahoo.co.in
17. श्री एच.जी. कोशिया, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, गुजरात और आयुक्त, खाद्य एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन, गुजरात सरकार, ब्लॉक सं 8, प्रथम तल, डा. जीवराज मेहता भवन, गांधी नगर–382010, गुजरात। टेलीफोनः 079–23253417, 23253399, फैक्सः 079–2325333400, ई–मेलः hkoshia@yahoo.co.in, comfdca@gujarat.gov.in
18. श्री बी.एस. रामा प्रसाद (आईएएस), खाद्य सुरक्षा आयुक्त कर्नाटक, आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, आयुक्तालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, कर्नाटक सरकार, आनंदा राव सर्किल, बैंगलौर–560009, टेलीः 080–22354085, 22874039, 22210248 फैक्सः 080–22201813, ईमेलः comhfw@gmail.com
19. डा. एस. रविंद्रम (आईएएस), खाद्य सुरक्षा आयुक्त और रजिस्ट्रार, कॉ–ऑपरेटिव सोसाइटी, केरल, कार्यालयः खाद्य सुरक्षा आयुक्त, थाइकुड, पीओ थिरूवनंथपुरम–695014, टेलीः 0471–22322833, 2322844 फैक्सः 0471–2322855, ई–मेलः foodsafetykerala@gmail.com
20. श्रीमती रजी पी. श्रीवास्तव (आईएएस) एवं एमडी पंजाब हेल्थ सिस्टम कार्पोरेशन एवं सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, एसआईएचएफडब्ल्यू कॉम्पलैक्स, फेज–6, समीपवर्ती सिविल अस्पताल, एसएएस नगर, मोहाली – 160056, पंजाब। टेलीः 0172–2266930, 2266935, फैक्सः 0172–2266936, ईमेलः phschd@yahoo.com, md_phsc@yahoo.in, hsg_68@yahoo.co.in
21. टी.एन. रमनाथन, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, कार्यालयः आयुक्त, इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी, अरूमबक्कम, अन्ना नगर, चेन्नई–600106, टेलीः 044–26214718, 4335075, ईमेलः hfsec@tn.gov.in
22. श्री रूपेंद्र चौधरी (आईएएस), खाद्य सुरक्षा आयुक्त पश्चिम बंगाल और संयुक्त सचिव पश्चिम बंगाल सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तृतीय तल, विंग ''बी'', जीएन–29, सेक्टर–5, साल्ट लेक, कोलकोता–7000091, टेलीफैक्सः 033–23574455, ईमेलः pd_wbsapcs@wbhealth.gov.in

23. श्री संजय कुमार सक्सेना, खाद्य सुरक्षा आयुक्त दिल्ली, खाद्य सुरक्षा विभाग, रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार, ए–20, लारेंस रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, रिंग रोड़, दिल्ली–110035, टेलीः 011–27194858, फैक्सः 011–27153846, ई–मेलः dirpfa@nic.in
24. श्री कलिंग तयांग, (आईएएस), खाद्य सुरक्षा आयुक्त अरुणाचल प्रदेश एवं सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण), अरुणाचल प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, इटानगर, अरुणाचल प्रदेश–791111, टेली–फैक्सः 0360–2244513 फैक्सः 0360–2244183, ई–मेलः ktayeng@rediffmail.com, arunachalfoodsafety@yahoo.co.in
25. श्री के.आर. मीना (आईएएस), सचिव स्वास्थ्य और राजस्व, स्थानीय प्रशासन विभाग, मुख्य सचिवालय, गोबर्ट एवेन्यू, पांडीचेरी–605001, टेली–फैक्सः 0413–2334144, ई–मेलः secylad@pon.nic.in, glu3959@yahoo.co.in
26. श्री महेश जगाडे (आईएएस), खाद्य सुरक्षा आयुक्त महाराष्ट्र और आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन महाराष्ट्र, एस.नं. 341, बान्द्रा कुर्ला, कॉम्पलैक्स, मधुसूदन कालेकर मार्ग, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई–400051, टेलीः 022–26592207, 26590548, फैक्सः 022–26591959, ईमेलः comm.fda-mah@nic.in
27. श्री बी. विजयन (आईएएस), खाद्य सुरक्षा आयुक्त, गोवा और प्रधान सचिव एवं सचिव (स्वास्थ्य), सचिव कार्यालय(स्वास्थ्य), पोरवोरीम, गोवा–403521 टेलीः 0832-2419440, 2224639, फैक्सः 0832-2419687, ईमेलः b.vijayan@nic.in
28. श्री के. सुब्राह्मनियम, खाद्य सुरक्षा आयुक्त छत्तीसगढ़ और नियंत्रक, खाद्य और औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ सरकार, कालीबाड़ी, निकट महिला पुलिस स्टेशन, रायपुर–492001, टेलीः 0771-4080322 फैक्सः 0771-2221322, ईमेलः maniiyer1958@yahoo.co.in
29. श्री मनोज कुमार साहू (आईएएस), खाद्य सुरक्षा आयुक्त, दमन एवं दीव और कलक्टर, ओआईडीसी कैम्पस, संघ राज्य क्षेत्र दमन एवं दीव, सचिवालय फोर्ट क्षेत्र के निकट, मोती दमन–396220 टेलीः 0260-2230470, 2230689 फैक्सः 0260-2230570, ईमेलः collectordaman@gmail.com
30. श्री डी.के. तिवारी (आईएएस), आयुक्त खाद्य सुरक्षा, चौथा तल, चंडीगढ़ यूटी सचिवालय, डिलक्स बिल्डिंग, सेक्टर–9, चंडीगढ़–160017, टेलीफैक्सः 0172-2740045, ईमेलः gulshangirdhar@yahoo.com, birsat80@yahoo.co.in
31. श्री सी.आर. राणा (आईएएस), खाद्य सुरक्षा आयुक्त, हरियाणा और मिशन निदेशक एनआरएचएम, खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा सरकार, प्रयत्न भवन, बेज़ 55–58, सेक्टर 2, पंचकुला, हरियाणा, टेलीः 0172- 2573922 फैक्सः 0172-2580466, ईमेलः md-hrnrhm@nic.in

32. एस. रामास्वामी, आयुक्त खाद्य सुरक्षा उत्तराखंड, उत्तराखंड सरकार, 4–सुभाष रोड़, सचिवालय, देहरादून–248001, उत्तराखंड। फोनः 0135-2711718, 2712061 फैक्सः 0135-2712113 ईमेलः healthsecyuk@gmail.com
33. श्रीमती अर्चना अग्रवाल (आईएएस), खाद्य सुरक्षा आयुक्त उ.प्र., सचिव और आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार, नवीन भवन, उ.प्र. सचिवालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226001, टेली–फैक्सः 0522-2237617, ईमेल:commissionerfda.up@gmail.com, fdaupgov@gmail.com
34. डा. श्यामाघन बिसवास, आयुक्त, खाद्य सुरक्षा ओडिसा और निदेशक (सार्वजनिक स्वास्थ्य), विभाग प्रमुख भवन, भुवनेश्वर–751001, ओडिसा, टेलीः 0674-2396977 फैक्सः 0674-2390674 ईमेलः dph.orissa@gmail.com
35. डा. एस. के. पाल, आयुक्त खाद्य सुरक्षा, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन सचिवालय, डीएचएस कार्यालय, पोर्टब्लेयर–744102, टेलीः 03192-233331, फैक्स:03192-232910, ईमेलः drsk_paul@yahoo.co.in
36. डा. पी. हजेला (आईएएस), आयुक्त खाद्य सुरक्षा असम और सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, असम सरकार, असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहटी–781006, टेली–फैक्सः 0361-2237366, 2260900, ईमेलः prateek.hajela@gmail.com
37. श्री के. मोसिस चले, खाद्य सुरक्षा आयुक्त मणिपुर और आयुक्त एवं सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण), मणिपुर सरकार, कमरा नं. 233, पुराना सचिवालय, इंफाल, मणिपुर–795001, फोनः 0385-2450682, 2450513, फैक्सः 0385- 2456395, ईमेलः mchalai@yahoo.co.in
38. श्री एस. के. राय (आईएएस), आयुक्त खाद्य सुरक्षा, प्रधान सचिव त्रिपुरा सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सचिवालय कॉम्प्लैक्स, खेजूर बगान, त्रिपुरा सरकार, अगरतला–799006, त्रिपुरा। टेलीः 0381-2415058, फैक्सः 0381-2410145, ईमेलः dfwpm_agt@yahoo.co.in, sudipkin@yahoo.com
39. श्री मेनुखोल जॉन, आयुक्त एवं सचिव नागालैण्ड सरकार और पदेन आयुक्त खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, कोहिमा–797001, नागालैण्ड, फोनः 0370-2270457, फैक्सः 0370-2270062, ईमेलः holin_z@yahoo.co.in
40. श्री डी. पी. वहलांग (आईएएस), आयुक्त और सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), कमरा नं. 315, अतिरिक्त सचिवालय भवन, शिलांग, मेघालय–793001, टेली–फैक्सः 0364-2226978, ईमेलः dwahlang@yahoo.com, sangma.dcfs@gmail.com
41. डा. के. भंडारी, आयुक्त एवं सचिव (स्वास्थ्य देखभाल, मानव सेवाएं एवं परिवार कल्याण) विभाग, सिक्किम सरकार, तशिलंग, गंगटोक–737102, फोनः 03592-202633, फैक्सः 03592-2204481, ईमेलः healthsecyskm@yahoo.com

42. श्री एम. जोहमिंगथांगी (आईएएस), सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण), मिजोरम सरकार, सचिवालय, न्यू केपिटल कॉम्पलैक्स, एजावल–796001, मिजोरम, फोनः 0389- 2328895, फैक्सः 0389-2320162, ईमेलः secyhealthmiz@gmail.com, mspc.aizawl@gmail.com
43. श्री के. विद्यासागर (आईएएस), प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार, नेपाल हाउस, डोरांडा, रांची–834002, टेलीः 0651-2491033, फैक्सः 0651-2490314, ईमेलः kasi_vidyasagar@yahoo.co.in, kavisahealth@gmail.com
44. श्री संजय कुमार (आईएएस), सचिव स्वास्थ्य विभाग एवं कार्यकारी निदेशक, राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी, विकास भवन, नया सचिवालय भवन, पटना–800001, टेलीः 0612-2215809, 2281232, फैक्सः 0612-2224608, ईमेलः ed_shsb@yahoo.co.in, health-bih@nic.in
45. श्री अली रज़ा रिज़वी, आईएएस, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, हिमाचल प्रदेश एवं सचिव (स्वास्थ्य), हिमाचल प्रदेश सरकार, एच.पी. सचिवालय, शिमला–171002 टेली–फैक्सः 0177-2621904, ईमेलः healthsecy-hp@nic.in, dhsr.hp@gmail.com
46. श्री संजय गोयल (आईएएस), आयुक्त खाद्य सुरक्षा और कलेक्टर, कलेक्टोरेट, सिलवासा, दादरा एवं नागर हवेली–396230 फोनः 0260-2642721, 2644203, फैक्सः 0260-2642787, ईमेलः collector-dnh@nic.in.
47. डा. एन. वसंथा कुमार, कलेक्टर एवं विकास आयुक्त और सचिव (स्वास्थ्य), संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप, कवारती–682555, एचपीओ कोची, टेलीः 04896-262256, फैक्सः 04896-263180, ईमेलः lk-coll@nic.in
48. डा. एस. भासकर रेड्डी, अतिरिक्त निदेशक, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन फूड ट्रेड एंड इंडस्ट्री (फिक्की का फूड विंग) / रिटेल, फोन नंः 23738760-70 (विस्तार) 310, ईमेलः baskar@ficci.com
49. श्री प्रदीप चौरडिया, चौरडिया फूड प्रोडक्टस, 48/ए, पार्वती इंडस्ट्रीयल एस्टेट, अदीनाथ सोसाइटी के सामने, पुणे–सतारा रोड़, पुणे–411009, टेलीः 09922990064, ईमेलःadmin@chordia.com
50. डा. जे टोनपांयोगंडगं वेलिंग, गांव–सनग्रतसु, जिलाः मोकोकचंग, नागालैंड।
51. श्री अरूण बालामट्टी, 815, 7वां क्रास, बनशंकरी, तीसरा फेज, तीसरा ब्लॉक, तीसरी स्टेज, बैंगलोर–560085
52. श्री आर. देसीकन, फांउडर ट्रस्टी, कंसर्ट एडं कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, 3/242 राजेंद्र गार्डन, वेटुवनकेनी, चेन्नई–600041, टेली/फैक्सः (044)24494576, (044)24494578 ईमेलः nirdesi@gmail.com, cai.india1@gmail.com

53. श्रीमती केया घोष, कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी, कोलकोता रिसोर्स सेंटर, 3 सुरेन टैगोर रोड़, दूसरा तल, कोलकोता–700019, प. बंगाल, टेलीफैक्सः 033-24604987, फोन 033-24604985, ईमेलः calcutta@cuts.org
54. डा. एस.पी. वेसीरेड्डी, अध्यक्ष एंव प्रंबध निदेशक, विमता लैब्स लिमिटेड, 142, आईडीए, फेज–II, चेरलापल्ली, हैदराबाद–500051, आंध्र प्रदेश, टेलीः 040-27264141, 040-27264444, फैक्सः 040-27263657, ईमेलः mdo@vimta.com
55. प्रोफेसर गोपाल नायक, भारतीय प्रबंधन संस्थान बैगंलोर (आईआईएमबी), बैनरघटा रोड़, बैंगलोर–560076, फोनः 080-26993194, ईमेलः gopaln@iimb.ernet.in

प्रतिलिपिः

1. अध्यक्ष के पीपीएस
2. सीईओ के पीएस
3. निदेशक (प्रव.) के पीएस
4. सारे संबधित अधिकारी, एफएसएसएआई

दिनांक 27 अप्रैल, 2012 को 11 बजे अशोक होटल, नई दिल्ली में आयोजित एफएसएसएआई की केंद्रीय सलाहकार समिति की सातवीं बैठक का कार्यवृत्त

एफएसएसएआई के अध्यक्ष श्री के. चंद्रमौली ने केंद्रीय सलाहकार समिति की सातवीं बैठक में सभी सदस्यों और उनके प्रतिनिधियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बैठक में शामिल होने वाले प्रतिभागियों की सूची **अनुलग्नक–1** में दी गई है।

अध्यक्ष ने अपने प्रथम अभिभाषण में उल्लेख किया कि केंद्रीय सलाहकार समिति(सीएसी) प्राधिकरण और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एक संपर्क माध्यम है। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में लगभग 5.5 करोड़ एफबीओ हैं, इसलिए एफएसएस अधिनियम, 2006 को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करना बहुत महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष ने कहा कि चूंकि सीएसी इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णयकारी निकाय है, जबतक सीएसी में भाग न लेने की कोई बाध्यकारी एवं आपवादिक परिस्थिति नहीं हो, सभी खाद्य सुरक्षा आयुक्त को इसमें भाग लेना चाहिए।

बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुद्दों का समाधान करना है ताकि यह अधिनियम प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जा सके। अध्यक्ष ने विभिन्न विषयों पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से फीडबैक और सुझाव देने के लिए कहा।

कार्यसूची मद सं.1– दिनांक 18 जनवरी, 2012 को आयोजित सीएसी की छठी बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि

समिति ने दिनांक 18 जनवरी, 2012 को आयोजित सीएसी की छठी बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि की। 3 राज्यों– दिल्ली, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने अपने बिंदुओं में कतिपय शुद्धियों का उल्लेख किया जिन्हें भविष्य में अवलोकनार्थ दर्ज कर लिया गया है।

दिल्ली–

बिंदु सं. 7– विभाग ने विश्लेषण के लिए 256 नमूने एकत्र किए जिनमें से 28 नमूने असुरक्षित पाए गए और 32 नमूने गलत ब्रांड किए गए थे।

शुद्धि: दिल्ली सरकार द्वारा कोई भी सेवा–नमूना नहीं उठाया जा रहा है।

तमिलनाडु–

बिंदु सं.4– प्रयोगशालाएं एनएबीएल प्रत्यायित हैं

शुद्धि– सार्वजनिक क्षेत्र की कोई भी प्रयोगशाला एनएबीएल प्रत्यायित नहीं है।

पश्चिम बंगाल–

बिंदु सं. 3– राज्य में 1 सरकारी प्रयोगशाला समेत 6 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। 6 प्रयोगशालाओं में से 5 एनएबीएल प्रत्यायित हैं।

शुद्धि– राज्य में 1 सरकारी प्रयोगशाला समेत 5 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। 5 प्रयोगशालाओं में से 4 एनएबीएल प्रत्यायित हैं।

कार्यसूची मद सं.2– एफएसएस अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन के संबंध में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति।

यह उल्लेख किया गया कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश एक राष्ट्रीय स्तर का डाटाबेस बनाने के लिए मासिक तथा साथ ही वार्षिक रिपोर्ट नियमित रूप से प्राधिकरण को भेजते हैं। इस मुद्दे पर सुझाव आमंत्रित किए गए और यह कहा गया कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त माह–वार रिपोर्टें सूचनाओं को साझा करने के लिए विभिन्न एफएसएसएआई की वेबसाइटों पर डाली जा सकती है जिससे हर किसी को अच्छी पद्धतियां अपनाने का अवसर मिलेगा।

कार्यसूची मद सं.3– राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ऑनलाइन लाइसेंसिंग और पंजीकरण के संबंध में प्रक्रिया

चार राज्य– हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल और दिल्ली ने ऑनलाइन लाइसेंसिंग प्रारंभ करने की अपनी इच्छा जताई। उक्त कार्यसूची मद पर एनआईएसजी द्वारा एक प्रस्तुतिकरण दिया गया जिसमें प्रणाली के लाभों को उजागर किया गया, अब तक के कुल ऑनलाइन राज्य/केंद्रीय लाइसेंसिंग/पंजीकरण आंकड़े दिए गए और राज्यों में अधिनियम को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए राज्यों से अपेक्षित गतिविधियों/तैयारियों को सूचीबद्ध करने के साथ साथ श्रमशक्ति, अवसंरचना इत्यादि की दृष्टि से राज्यों को सहयोग देने के लिए एफएसएसएआई द्वारा विकसित संरचना की भी व्याख्या की गई। एफएसएसएआई विवरणों को देते हुए प्रत्येक राज्य को लिखेगा।

अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि ऑनलाइन लाइसेंसिंग/पंजीकरण प्रक्रिया प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का भाग होना चाहिए। ऑनलाइन लाइसेंसिंग प्रणाली एकरूपता, सुविधापूर्ण पहुंच और पारदर्शिता लाने के लिए लागू की गई है।

कार्यसूची मद सं.4– राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत सार्वजनिक प्रयोगशालाओं की स्थिति।

सभी प्रयोगशालाओं का उन्नयन किए जाने की आवश्यकता है। चूंकि सार्वजनिक क्षेत्र की अधिकतर प्रयोगशालाएं एनएबीएल प्रत्यायित नहीं हैं, राज्यों को प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए प्रयास करने होंगे। हम उन प्रयोगशालाओं का भी उपयोग कर रहे थे जो प्रत्यायित हैं और निजी क्षेत्रों में थी। सीएसआईआर इत्यादि जैसी अन्य प्रयोगशालाएं भी हैं जिनकी सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है। 4 रेफरल प्रयोगशालाएं हैं और ऐसी और प्रयोगशालाएं रखने की आवश्यकता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में, प्रयोगशालाओं के उन्नयन का प्रस्ताव शामिल किया गया। राज्यों को प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए आवश्यकताओं के संबंध में एक रिपोर्ट के रूप में अपनी जरूरतों को प्रस्तुत करना होगा। क्यूसीआई द्वारा कई प्रयोगशालाओं के लिए विस्तृत गैप(जीएपी) विश्लेषण किया गया था। प्रत्येक राज्य को न्यूनतम मानदंडों को पूरा करने वाली प्रयोगशालाओं का विस्तृत नेटवर्क रखने के लिए अगले 5 वर्ष की योजना बनानी होगी।

कार्यसूची मद सं.5– विभिन्न श्रेणियों के विनियामक स्टाफ(डीओ, एफएसओ एवं एओ) हेतु प्रशिक्षण की स्थिति

डीओ एवं एओ कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण पहले ही भोपाल (12–14 अप्रैल, 2012), पंजाब (मोहाली)(16–18 अप्रैल, 2012) एवं केरल (23–25 अप्रैल, 2012 तक केवल डीओ के प्रशिक्षण) में आयोजित किया जा चुका है।इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम की संबंधित राज्य द्वारा सराहना की गई एवं एफएससी, मध्य प्रदेश ने एफएसओ प्रशिक्षण को पुनःआयोजित करवाना चाहा जिसका वित्तपोषण स्वयं उनके द्वारा किया जाएगा। एफएसएसएआई अन्य राज्यों के लिए भी ऐसे प्रशिक्षण हेतु संसाधन व्यक्तियों की सूची और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। मई, 2012 के माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम को भी साझा किया गया जो इस प्रकार है–

- ☐ 2–4 मई . – लखनऊ (उ.प्र.)
- ☐ 9–11 मई – रांची (झारखंड़)
- ☐ 15–17 मई – हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)
- ☐ 17–19 मई – अहमदाबाद (गुजरात)
- ☐ 22–24 मई – श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर)
- ☐ 29–31 मई – बंगलोर (कर्णाटक)

अध्यक्ष, एफएसएसएआई ने इस बात पर जोर दिया कि प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए और राज्य सरकार को उन संस्थानों की पहचान करनी चाहिए जहां ऐसे प्रशिक्षण उनके राज्यों में करवाए जा सकते हैं और प्रशिक्षण की एक स्थायी प्रणाली सृजित की जा सकती है।

कार्यसूची मद सं.6– विभिन्न श्रेणियों के हितधारियों विशेषकर एफबीओ के बीच जागरूकता पैदा करना

जागरूकता पैदा करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है, जिसके लिए विभिन्न हितधारकों यथा उपभोक्ताओं, एफबीओ, छोटे खाद्य विनिर्माताओं, रेड़ीवालों इत्यादि को लक्षित करते हुए सतत प्रयास करने की जरूरत है। अधिनियम के आवश्यक तत्वों, एक खाद्य व्यापार प्रारंभ करने के लिए अनिवार्य मानदंडों, ऑनलाइन और मैनुयल लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्रणालियों के संबंध में स्पष्टीकरणों के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए अनेकानेक विज्ञापन गतिविधियों को आयोजित करने की जरूरत है। प्राधिकरण में विकसित की जा रही आईईसी सामग्रियां प्रत्येक राज्य को प्रदान की जाएंगी, जिन्हें उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में अनूदित करवाया जा सकेगा। जागरूकता अभियानों को, जो स्थायी और सतत होने चाहिए, प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

कार्यसूची मद सं. 7– सड़किया खानों के संबंध में प्रस्तुति

श्रीमती इंदिरा चक्रवर्ती द्वारा सड़किया खानों के संबंध में प्रस्तुति दी गई जिसमें इस पर प्रकाश डाला गया कि सड़किया खानों की सुरक्षा के संबंध में समुचित कार्यनीति विकसित किए जाने की जरूरत है क्योंकि यह शहरी तथा ग्रामीण जनता का एक आवश्यक हिस्सा है। उन्होंने कलकत्ता में शुरू की जा रही परियोजना को साझा किया जहां सलाहकार समिति का गठन किया गया और राज्य के मुख्य सचिव इस समिति के अध्यक्ष थे और इसमें पुलिस और नगर निगम अधिकारी शामिल थे। आधारभूत आंकड़े तैयार किए गए और घटिया खाद्य हथालन, घटिया जल गुणवत्ता, बेतरतीब खोखे और अल्प उपभोक्ता जागरूकता इस अध्ययन के दौरान नोट की गई कुछ बातें थी। सड़किया खाने के खाद्य सुरक्षा विषय को भी 3श्रेणियों के सड़किया खाद्य विक्रेताओं के संबंध में साझा किया गयाः श्रेणी 1–एक कुटीर उद्योग उत्पाद के रूप में बनाए गए, श्रेणी 2–विक्रेताओं के आवास पर तैयार किए गए, श्रेणी 3–सड़किया खाद्य स्टॉल में ही बनाए गए। इस संबंध में कुछ सिफारिशे की गईं जैसे एफएसएसएआई में सड़किया खानों की समन्वय समिति को राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ किया जाए, मूलभूत कार्रवाई योजना तथा साथ ही नगर–वार कार्रवाई योजना विकसित की जाए, सड़किया खाने और सिफारिशों पर दृष्टिकोण पत्र का परिचालन, प्रत्येक क्षेत्र के लिए खाद्य और जल नीति परिषद का सृजन किया जा सकता है, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और इसका मूल्यांक तथा सतत अनुवर्ती कार्रवाई की जाए।

दिसंबर, 2010 में गुजरात (अहमदाबाद) सड़किया खानों के संबंध में किए गए एक मामला–अध्ययन को भी श्री चौहान, संयुक्त आयुक्त, एफडीए द्वारा साझा किया गया। यह अच्छी स्वास्थ्य पद्धतियों (जीएचपी) संबंधी प्रशिक्षण के साथ शुरू हुआ जो 250 खाद्य विक्रेताओं को दिया गया। एफएससी, गुजरात द्वारा भी मीडिया के संग उनके स्टॉलों का दौरा किया गया और यह पाया गया कि उनके द्वारा जीएचपी का अनुसरण करने के बाद उनके व्यापार में वृद्धि हुई। यह चाहा गया कि गुजरात

द्वारा विकसित एसओपी को राज्यों के बीच परिचालित किया जाए। एफएसएसएआई के अध्यक्ष ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से सुझाव आमंत्रित किए ताकि सड़किया खानों की सुरक्षा को संभालने के लिए नीति या परियोजना विकसित की जा सके। अध्यक्ष ने यह भी चाहा कि राज्य नगरों की पहचान कर सकते हैं और इन नगरों में ऐसी ही परियोजना प्रारंभ कर सकते हैं।

एफएसएस अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन के संबंध में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति

1) कर्नाटक

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 30 डीओ, 106 एफएसओ, 30 अधिनिर्णयन अधिकारी और 8 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित किए गए है।

ख) राज्य सरकार द्वारा 10.4 करोड़ रूपये का बजट आबंटित किया गया जिसमें निम्नलिखित शामिल है–

1. मोबाइल परीक्षण सुविधा
2. उपस्करों की खरीद
3. क्षमता निर्माण कार्यक्रम
4. वेबसाइटों का विकास
5. एफबीओ हेतु जागरूकता और कार्यशालाएं

अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि एक बार राज्य की कतिपय क्षेत्रों में प्रगति हो जाने के बाद प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए।

2) जम्मू और कश्मीर

क) जम्मू और कश्मीर दोनों के लिए उपायुक्त अधिसूचित किए गए, 23 डीओ, 70 एफएसओ, 2 खाद्य विश्लेषक और 23 अपर जिला मजिस्ट्रेटों को अधिनिर्णयन अधिकारियों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

ख) डीओ, एफएसओ हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम किए जाने अभी बाकी हैं

ग) एकत्रित 569 नमूनों में से, 151 गलत ब्रांड वाले/मिलावटी पाए गए, 1 असुरक्षित पाया गया और 32 शिकायतों का निपटान किया गया।

घ) अभी तक एफबीओ पर कुल 445000 रूपये का जुर्माना लगाया जा चुका है।

ड़) राज्य में पंजीकरण की शक्तियां एफएसओ के पास हैं और राज्य में लाइसेंस देने की शक्तियां डीओ के पास हैं।

च) खाद्य परीक्षण के लिए चल (मोबाइल) प्रयोगशालाओं के साथ मोबाइल सुविधाएं विकसित की जानी हैं।

3) छत्तीसगढ़

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 18 अभिहित अधिकारी, 14 एफएसओ और 2 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित किए गए है। सभी 18 जिलों के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेटों को अधिनिर्णयन अधिकारियों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

ख) 12वीं योजना में 1 क्षेत्रीय प्रयोगशाला विकसित करने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है।

ग) अभी तक 60 लाइसेंस जारी किए गए हैं

घ) खाद्य नमूनों के विश्लेषण के लिए राज्य में 1 चल (मोबाइल) प्रयोगशाला है।

ड़) डीओ और एफएसओ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, किंतु एओ के लिए इसे आयोजित किया जाना अभी बाकी है

च) छत्तीसगढ़ चौम्बर ऑफ कामर्स एसोसिएशन के माध्यम से एफबीओ के संग रायपुर में कार्यशाला आयोजित करके जागरूकता सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है।

छ. खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने एफएसएस अधिनियम, 2006 का संदेश फैलाने के लिए दूरदर्शन एवं ज्ञानवाणी के मंचों का उपयोग किया है। साथ ही, वार्ता कार्यक्रम आयोजित किए गए और विद्यार्थियों में जागरूकता पैदा करने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं ने इनमें भाग लिया।

4.) मिजोरम

क) एफबीओ के बीच जागरूकता पैदा करने में आईईसी गतिविधियां प्रभावशाली रहीं

ख) 9 एफएसओ अधिसूचित किए गए हैं

ग) अभी तक 20 लाइसेंस जारी किए गए हैं

घ) श्रमशक्ति की कमी संबंधी चिंता को उजागर किया गया।

5) चंडीगढ़

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 1 अभिहित अधिकारी, 3 खाद्य सुरक्षा अधिकारी और 1 अधिनिर्णयन अधिकारी अधिसूचित किए गए है।

ख) एओ/डीओ के प्रशिक्षण, ऑनलाइन पंजीकरण/लाइसेंसिंग के प्रयोजनार्थ एनआईएसजी को एक पत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।

ग) चंडीगढ़ के अधिकारियों के लिए प्रस्तावित प्रशिक्षण हरियाणा राज्य के साथ आयोजित किया जाएगा।

घ) चंडीगढ़ प्रशासन खाद्य नमूनों के विश्लेषण के लिए पंजाब और हरियाण खाद्य प्रयोगशाला की सेवाओं का उपयोग करता है।

ड़) विभिन्न श्रेणियों के हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए चंडीगढ़ होटल संघ, चंडीगढ़ ब्योपार मंडल संघ, मिठाई विनिर्माता संघ, किरयाणा संघ और आटा चक्की संघ के पदधारियों के साथ बैठक की गई।

6) पुडुचेरी

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 1डीओ, 3 एफएसओ, 2 अधिनिर्णयन अधिकारी अधिसूचित किए गए है।

ख) एनएबीएल का प्रयोगशाला प्रत्यायन प्रक्रियाधीन है

ग) अभी तक जारी कुल पंजीकरण–431

घ) अभी तक जारी कुल लाइसेंस–57

ड़) 21 पदों को सृजित करने का प्रस्ताव सरकार के पास प्रस्तुत किया गया है।

च) ऑनलाइन पंजीकरण और लाइसेंस, हेल्पलाइन सुविधा, चल प्रयोगशाला सुविधा उपलब्ध नहीं हैं–इनके लिए निधियों और श्रमशक्ति की आवश्यकता है।

7) उड़ीसा

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त अधिसूचित किए गए हैं

ख) लाइसेंसिंग/पंजीकरण का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। ऑनलाइन लाइसेंसिंग/पंजीकरण के संबंध में एफएसएसएआई से तकनीकी सहयोग की आवश्यकता है

ग) एफएसएसएआई द्वारा जून/जुलाई में राज्य में अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा

घ) अभी भी मामलों पर पीएफए के अंतर्गत मुकदमे चलाए जाते हैं।

8) दिल्ली

क) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 5 पूर्णकालिक अभिहित अधिकारियों(डीओ) और 31 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्तियां की गई हैं। एलएचए को उपायुक्त के रूप में अभिहित किया गया है। डीओ के 4 रिक्त पदों को अभी भरा जाना बाकी है।

ख) यहां 1 प्रयोगशाला है जो एनएबीएल प्रत्यायित है।

ग) दिल्ली में 9 जिले हैं और सभी एडीएम को एओ के रूप में अधिसूचित किया गया है।

घ) सामान्य क्षेत्राधिकार वाला 1 विशेष न्यायालय है

ड़) 2086 नमूने उठाए गए जिनमें से 31 असुरक्षित थे, 58 घटिया थे, 48 गलत ब्रांड वाले थे और 5 अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले थे।

च) ऑनलाइन लाइसेंसिंग/पंजीकरण का प्रस्ताव सरकार के पास प्रस्तुत किया गया है।

9) उत्तराखंड

क) 12 डीओ और 34 एफएसओ अधिसूचित किए गए

ख) पीएफए के अधीन विद्यमान लाइसेंसों की कुल संख्या 28,262 थी, एफएसएस अधिनियम, 2006 के अधीन 88 लाइसेंस एवं 2481 पंजीकरण जारी किए गए हैं

ग) लाइसेंसिंग एवं पंजीकरण मैनुयल रूप से किए जा रहे हैं

घ) राज्य में एनएबीएल प्रत्यायन रहित केवल एक प्रयोगशाला रूद्रपुर में स्थित है

ड़) 543 नमूनों का विश्लेषण किया गया जिनमें से 80 गलत ब्रांड वाले पाए गए और 2 असुरक्षित थे। 12 मामले दायर किए गए।

च) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, नोयडा में 12 डीओ का प्रशिक्षण कराया गया है।

छ. लाइसेंसिंग और पंजीकरण हेतु प्रोत्साहित करने के लिए एफबीओ के संग 50 से अधिक विचार–विमर्श सत्र आयोजित किए गए।

10) नागालैंड

क) 11 डीओ और 7 एफएसओ नियुक्त किए गए हैं

ख) राज्य में एक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला है जिसका उन्नयन किया जाना बाकी है। खाद्य विश्लेषक अधिसूचित किया गया है

ग) राज्य में आयातित खाद्य वस्तुओं की भरमार है और लेबलों पर अंकित सूचनाएं संबंधित देश की भाषा में हैं।

यह सुझाव दिया गया कि राज्य को नमूने लेने होंगे और अपराधियों के विरूद्ध कार्रवाई करनी होगी।

11) गुजरात

क) सभी एलएचए और वरिष्ट खाद्य निरीक्षकों को डीओ के रूप में और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को खाद्य निरीक्षकों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

ख) खाद्य सुरक्षा न्यायाधिकरण अहमदाबाद में स्थापित है और 1 वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश को इसके पीठासीन अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। 4 पद स्वीकृत किए गए हैं।

ग) एफडीसीए के अंतर्गत कार्यरत 2 प्रयोगशालाओं को एनएबीएल द्वारा प्रत्यायित किया गया है। एफडीसीए की राजकोट और भुज स्थित प्रयोगशाला और तीनों नगर निगम प्रयोगशालाएं उन्नयन के प्रक्रियाधीन हैं।

घ) 2 मोबाइल वैन खरीदी गई हैं–एक को चल परीक्षण के लिए तथा दूसरे को चल प्रदर्शनी वाहन के रूप में उपयोग किया जाएगा।

ड़) एफडीसीए के अधिकारियों द्वारा एनआईसी की मदद से एक लैब मास्टर सॉफ्टवेयर डिजाइन और विकसित किया गया है और सॉफ्टवेयर को अपलोड किया गया है।

च) एफएसएस अधिनियम के अंतर्गत 1211 लाइसेंस दिए गए हैं और 4037 पंजीकरण किए गए हैं।

छ. गुजरात के लिए पायलट परियोजना के रूप में ऑनलाइन लाइसेंसिंग/पंजीकरण प्रणाली प्रारंभ की गई है

12) हरियाणा

क) 14 खाद्य निरीक्षकों को एफएसओ के रूप में अधिसूचित किया गया है

ख) अतिरिक्त 600 पदों के सृजन का प्रस्ताव, जिसमें डीओ के 22 पद और एफएसओ के 54 पद शामिल हैं, सरकार के पास भेजा गया है।

ग) 945 नमूनों का विश्लेषण किया गया है, जिनमें से 138 घटिया/असुरक्षित/गलत ब्रांड वाले पाए गए।

घ) 1507 आवेदनों में से 1266 पंजीकरण और 226 में से 87 लाइसेंस एफएसएस अधिनियम के अंतर्गत जारी किए गए हैं।

ड़) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना प्रक्रियाधीन है

13. पंजाब

क) एफएसओ, डीओ और एओ के प्रशिक्षण कराए गए हैं।

14) महाराष्ट्र

क)सभी डीओ, एफएसओ और एओ मौजूद हैं

ख) राज्य में प्रवर्तन प्रभावी है

ग) 1,60,000 से अधिक लाइसेंस जारी किए गए हैं

घ) प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एक विस्तृत मासिक निगरानी प्रणाली जारी की गई है

ड़) 10% प्रवर्तन और 90% हैंड होल्डिंग

15) मध्य प्रदेश

क) लगभग 1000 आवेदनों के साथ लाइसेंसिंग की प्रक्रिया चल रही है

ख) राज्य के पास नए अदालती मुकदमें हैं–लाइसेंसों के नहीं होने के आरोप/अपराध

ग) व्यापार निकायों के साथ जागरूकता गतिविधियां चल रही हैं

घ) कोई पूर्णकालिक डीओ नहीं है, पदों की स्वीकृति के लिए कार्रवाई की गई है

ड़) अधिनियम से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर न्यायालयों में चंद ही अदालती मामले चल रहे हैं

च) अधिनियम से संबंधित कुछ गलत सूचनाओं के कारण राज्य के पास लाइसेंसिग और पंजीकरण संबंधी कुछ समस्याएं रही हैं।

16) पश्चिम बंगाल

क)खाद्य सुरक्षा आयुक्त पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है

ख) 18 जिलों और कोलकाता महानगरीय जिले के डीओ अधिसूचित किए गए हैं।

ग) 15 अधिनिर्णयन अधिकारी अधिसूचित किए गए हैं

घ) अन्य स्थानीय निकायों के अधीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में खाद्य निरीक्षकों की अधिसूचना विचाराधीन है।

ड़) पंजीकरण और लाइसेंसिंग मैनुअल रूप से प्रारंभ की गई है।

च) पीएफए के अधीन विद्यमान लाइसेंस के परिवर्तन को प्राथमिकता दी गई है

छ. लाइसेंसिंग और पंजीकरण की ऑनलाइन प्रणाली जल्दी ही अपना ली जाएगी

ज. राज्य स्तर पर खाद्य सुरक्षा संबंधी हेल्पलाइन और वेबसाइट का निर्माण प्रक्रियाधीन है।

झ. दूध के नमूने लिए गए और उनका विश्लेषण किया गया और इनमें से 3 नमूने घटिया पाए गए। यह राष्ट्रीय दुग्ध सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर किया गया।

17) आंध्र प्रदेश

क) 23 जिलों में 48 एफएसओ अधिसूचित किए गए

ख) डीओ के लिए टीओटी पूरा कर लिया गया है

ग) अधिनिर्णयन अधिकारी सूचित किए गए

घ) गुंटुर में लोक विश्लेषक अधिसूचित किया गया

ड़) 3 जिलों में लाइसेंसिंग पर कार्रवाई की गई, 614 आवेदन प्राप्त हुए और 467 जारी किए गए और 117 प्रक्रियाधीन हैं

च) पंजीकरण प्रक्रिया चल रही है

छ. 4 प्रस्ताव तैयार किए गए हैं और चल प्रयोगशाला सुविधाओं हेतु प्रस्तुत किए गए हैं

ज. डीएफआईडी के अंतर्गत, राज्य में नौ आईटीडीए क्षेत्रों में हितधारकों हेतु खाद्य सुरक्षा और जल गुणवत्ता संबंधी जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए हैं।

झ. अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग होस्टलों, आश्रम , समाज कल्याण विभाग के विद्यालयों और मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाले विद्यालयों में खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं

ञ. फलों के कृत्रिम पकाव के संबंध में एफबीओ हेतु जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है

18) तमिलनाडु

क) आयुक्त और सहायक आयुक्त मौजूद हैं

ख) डीओ, एफएसओ और एओ पहले ही अधिसूचित किए गए

ग) डीओ और एओ प्रशिक्षित किए गए हैं

घ) 32 डीओ प्रशिक्षित किए गए हैं

ड़) 584 एफएसओ में से, 294 एफएसओ को प्रशिक्षण दिया गया है

च) एफएसओ हेतु 19 रिक्तियां स्वीकृत की जानी हैं

छ. राज्य में 6 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं

ज. 22 विश्लेषक मौजूद हैं

झ. 345 नमूने उठाए गए हैं और 113 का विश्लेषण किया गया जिसमें 80 मिलावटी थे/गलत ब्रांड वाले थे

ञ. राज्य सरकार ने प्रयोगशालाओं में अवसंरचना को सशक्त बनाने के लिए 6 करोड़ स्वीकृत किए हैं। टीएनएनएमसी में धनराशि जमा की गई है

ट. दिनांक 25 अप्रैल 2012 तक, कुल 2663 हेतु लाइसेंसिंग की गई, 6638 हेतु पंजीकरण किया गया जिसका कुल योग 9301 हुआ

ठ. 1200 व्यक्तियों हेतु जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया

ड़) ऑनलाइन लाइसेंसिंग हेतु प्रस्ताव की प्रतीक्षा है।

19) उत्तर प्रदेश

क) डीओ और एफएसओ अधिसूचित किए गए

ख) एओ अधिसूचित किए गए

ग) ऑनलाइन प्रणालियों के माध्यम से–250 लाइसेंस जारी किए गए, 300–400 पंजीकरण किए गए

घ) प्रयोगशालाओं में खाद्य विश्लेषकों की कमी है

ड़) 5 प्रयोगशालाओं हेतु केवल 1 खाद्य विश्लेषक मौजूद है

च) 3 प्रयोगशालाओं में प्रयोगशाला उपस्करों को सुदृढ़ बनाना जारी है

छ. सभी प्रयोगशालाओं हेतु गैप विश्लेषण किया जाता है

ज. झांसी में 1 एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशाला है

झ. राज्य में एक शिकायत प्रकोष्ठ है, जिसमें साप्ताहिक आधार पर शिकायत निवारण होता है।

अतिरिक्त कार्यसूची

राज्यों के प्रतिनिधियों की एक कार्यशाला दिल्ली में दिनांक 20.04.2012 को आयोजित हुई जिसमें दस्तावेजों की सूची और निरीक्षण के लिए प्रयोग की जानी वाली जांचसूची के संबंध में कतिपय निर्णय लिए गए। बैठक के दौरान अंतिम रूप दिए गए दस्तावेजों को सीएसी के समक्ष रखा गया।

अध्यक्ष ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों को बैठक में परिचालित दस्तावेजों (निरीक्षण जांचसूची और लाइसेंस के लिए आवेदनों के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज) के संबंध में एक सप्ताह के भीतर समीक्षा करने और सुझाव देने के लिए कहा ताकि इन्हें अंतिम रूप दिया जा सके। सभी का मत था कि अन्यथा कार्यशाला में लिए गए निर्णय उचित प्रतीत होते हैं और इनका इसी रूप में पालन करना चाहिए अथवा यदि 1 सप्ताह के भीतर किसी राज्य से कोई टिप्पणियां प्राप्त होती है, तो उन्हें इनमें शामिल करना चाहिए।

श्री आर. देसीकन, न्यासी, सीओएनसीईआरटी(कन्सर्ट), चेन्नै ने यह कहते हुए ट्रान्स फैटी एसिड (टीएफए) की प्रारूप अधिसूचना का उल्लेख किया कि टीएफए की प्रतिशतता उच्च रेंज में अर्थात् लगभग 10% रखी जाती है। अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार यह 3–5% होनी चाहिए। इस पर, अध्यक्ष ने उनसे अनुरोध किया कि वह वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत करें जिसके बाद इसे इस मुद्दे पर निर्णय के लिए एफएसएसएआई के वैज्ञानिक विशेषज्ञों को परिचालित किया जाएगा।

अनुलग्नक–1

दिनांक 27 अप्रैल, 2012 को 11 बजे अशोक होटल, डिप्लोमैटिक एन्क्लेव, 50–बी, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में आयोजित एफएसएसएआई की केंद्रीय सलाहकार समिति की सातवीं बैठक के दौरान निम्नलिखित उपस्थित थे:

1. श्री के. चंद्रमौली, अध्यक्ष, एफएसएसएआई
2. डा. अलेखा चंद्र साहु, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं (जन स्वास्थ्य), ओडिसा
3. श्री रूपेन्द्र चौधरी, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, पश्चिम बंगाल
4. श्री आर. देसिकन, न्यासी, कंसर्ट, चेन्नै
5. डा. एस.एस. तोमर, खाद्य विश्लेषक, एफडीए, छत्तीसगढ़
6. डा. एस.पी. वसिरेड्डी, विमता लैब्स लिमिटेड, हैदराबाद
7. श्री महेश सोनी, उपसचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, गुजरात
8. श्री वाई.डी.चौहान, संयुक्त आयुक्त, खाद्य एवं दवा नियंत्रण, गुजरात
9. श्री महेश जांगड़े, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, महाराष्ट्र
10. श्री जी.एच. राठौड़, संयुक्त आयुक्त, एफडीए, महाराष्ट्र
11. डा. के.यू. मेठेकर, एफएसओ, एफडीए, महाराष्ट्र
12. सुश्री मोनिका रावत, वरिष्ठ सहायक निदेशक, सीआईएफटीआई–फिक्की, नई दिल्ली
13. श्री आर.एफ.लोथा, अपर आयुक्त,एफडीए, नागालैंड
14. डा. जी.एल.उपाध्याय, खाद्य सुरक्षा उप–आयुक्त, पुडुचेरी
15. सुश्री रूपाली बनर्जी सिंह, निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली
16. श्री अनिल कुमार, संयुक्त आयुक्त, केरल
17. श्री नजीर अहमद वानी, खाद्य सुरक्षा उप–आयुक्त, जम्मू और कश्मीर
18. श्री ओ.पी.वर्मा, अपर आयुक्त, खाद्य एवं दवा प्रशासन, उत्तर प्रदेश
19. डा. (श्रीमती) पी. सुचरितामूर्ति, निदेशक, निवारक ओषधि संस्थान, हैदराबाद
20. डा. रवि केतकर, उपनिदेशक, पीएचआई, बंगलोर
21. श्री अर्नब गांगुली, परियोजना अधिकारी, कलकत्ता संसाधन केन्द्र
22. श्री अशोक खुल्लर, संयुक्त आयुक्त (खाद्य), एफडीए, हरियाणा
23. सुश्री रजि श्रीवास्तव, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, पंजाब
24. श्री एम.पी.सिंह, अपर विकास आयुक्त, एमएसएमई, नई दिल्ली
25. श्री अश्वनी के. राय, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, मध्य प्रदेश
26. श्री लाल सौमा, खाद्य सुरक्षा उपायुक्त, मिजोरम
27. श्री राग गुडा, एनआईएसजी, हैदराबाद

28. श्री आई.एन. मूर्ति, एनआईएसजी, हैदराबाद
29. डा. श्रुति राय भारद्वाज, उप निदेशक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली
30. श्री एस.के. नागपाल, अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
31. श्री. ए.के. जैन, निदेशक, उपभोक्ता कार्य विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली
32. श्री श्रुरंजन, संयुक्त सचिव, महिला और बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
33. श्री एस.के.नंदा, खाद्य सुरक्षा उपायुक्त, खाद्य सुरक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
34. श्री जी.सी.खंडवाल, अभिहित खाद्य सुरक्षा अधिकारी, देहरादून
35. डा. सतबीर सिंह, अभिहित अधिकारी, चंडीगढ़
36. सुश्री अनीता माखीजानी, सहायक तकनीकी सलाहकार, खाद्य एवं पोषण बोर्ड, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
37. प्रो. इंदिरा चक्रवर्ती, मुख्य सलाहकार, पीएचईडी, जीओडब्ल्यूबी
38. श्री जे.एच.पनवाल, संयुक्त तकनीकी सलाहकार, खाद्य एवं पोषण बोर्ड, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली

* यह नोट किया जा सकता है कि प्रतिभागियों के नाम उपस्थिति सूची में दर्ज क्रम में व्यवस्थित किए गए है और इनमें वरिष्ठता क्रम का अनुसरण नहीं किया गया है। नाम की वर्तनी में यदि कोई भूल है, तो उसके लिए खेद है।